हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

12/01/23

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप.। प्रतिवादी स. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता मुकीम खान ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त करने प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11/10/2022 राजस्व वाद संख्या 153/21 मोमदान बनाम रहमदान वगैरा मे पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। वादी वकील उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब न देकर सीधी बहस करना चाहते है। प्रतिवादी क्र. 1 व 2 के वकील ने बहस मे कथन किया कि प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड AD नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये AD नोटिस भेजे गये जो प्रतिवादीगण प्राप्त नहीं हुए। दिनांक 11.10.22 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाकर उसी रोज वादी स्वास्थ्य शपथ पत्र लेकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नही हुई। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव भी बनकर आ गया जिसकी जानकारी हमें नही हुई। प्रतिवादीगण 2565 खातेदार है जिनको को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रारम्भिक डिक्री के [illegible] करवाकर वादी प्रतिवादीगण को उनके [illegible] व जायज से बेदखल करना चाहते है यदि इस उद्देश्य मे वादी सफल हो गया तो प्रतिवादीगण को अपूरणीय क्षति होगी इस कारण से भी प्रारम्भिक डिक्री खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:20:16 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी वकील ने बहस मे कथन किया कि दिनांक 22/11/21 को न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया उसके बाद दिनांक 19.05.2022 को प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किये गये तथा दिनांक 28.05.22 को सवार तामील करने उनके घर पर गया तब उन्होंने नोटिस इनकार कर दिया गया तथा उससे पूर्व दिनांक 31/03/2022 को प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड AD द्वारा पेश किये गये थे तथा तहसीलदार धनाऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था तब भी सूचना व नोटिस जारी किये गये थे जिसमे खुदकाश्त मौके पर उपस्थित था ~~उक्त~~ प्रतिवादीगण वकील द्वारा वाद को लम्बा करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि वाद को चलते हुए 15 महिने से ज्यादा समय हो गया है प्रतिवादीगण ~~की~~ को इसकी सूचना पहले से ही थी। इसलिये प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगढ़त कथ्यों एवं सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं नोटिसो का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण वाद को लम्बा करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। वादी वकील ने [illegible] प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस [illegible] ने बहस सुनी गई पत्रावली का अध्ययन अवलोकन एवं लिखित दस्तावेजो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:20:16 IST
Reason: SelfAttested